

125/2017 स्तोत्रार्थि व/स हरिबाबु उवरकर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/10/22

पत्रावली पेश हुई।  
वकील प्रार्थी अर्ज।  
वकील अप्रार्थी अर्ज।  
दोनों पक्षकारान के अधिवक्ता गत पेशी  
दि. 15/09/2022 में अनुपस्थित रहे हैं।  
आदेशिका दि. 03.10.2017 अनुसार  
पूजाग में पुनः सुनवाई कर निर्णय  
किया जाना है परन्तु अधिवक्ता पक्षकारान  
लम्बे समय से पूजाग में उपस्थित नहीं  
रहे हैं जिले (सुनवाई) किया जाना  
संभव नहीं हो पा रहा है।  
का-का आवाजें दिलाई जाने के  
उपरान्त भी अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी  
न्यायालय में उपस्थित नहीं करते हैं  
लिहाजा निर्णय अदम्य परवी-अदम्यहाजरी  
में खारिज की जाती है।  
पत्रावली फाइल में शुका  
होकर भ्रम से ऊठे।

जिला कलेक्टर, बाली